

25.04.2022:- आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी काशीराम जरिये अधिवक्ता रामपाल द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया की वादी व प्रतिवादी का पंचायती तौर पर सजीनाम हो जाने के कारण वादी पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते। वादपत्र ड्राप करना चाहते हैं। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी के फर्द अहकाम पर वादी के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहचान अधिवक्ता श्री रामपाल द्वारा की गई। वादी का उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तक मील दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
बनारस